

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1459/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(120)-2014
लखनऊ, दिनांक: 07 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक: 08 नवम्बर, 2014 से सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1315/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(101)-2013 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, परन्तुक में, खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।